संख्या-71/2015/899/78-2-2015-237आई.टी./2012टी.सी.

प्रेषक,

महेन्द्र प्रसाद भारती,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0 डेस्को,
गोमती नगर, लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्टानिक्स अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 26 जून, 2015**

विषयः मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय हेतु मेगा कॉल सेन्टर की स्थापना एवं संचालन हेतु तैयार किए गये आरएफपी डाक्यूमेंट पर शासन स्तर से विधि विधीक्षण सहित अनुमोदन प्रदान कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-904/124/1262 दिनांक 11.06.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि मेगा कॉल सेन्टर की स्थापना एवं संचालन हेतु तैयार किए गये आरएफपी डाक्यूमेंट पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर न्याय विभाग द्वारा परामर्श दिया गया है:-

(1) शासनादेश दिनांक 11.06.2015 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.06.2015 एवं मैनेजमेंट कमेटी की बैठक दिनांक 11.06.2015 के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न की जाए।

(2) उक्त मामले में चयनित संस्था के साथ अनुबंध श्री राज्यपाल की ओर से या यूपीडेस्को की ओर से किया जाएगा, को कृपया स्पष्ट किया जाए।

(3) बैंक गारण्टी का आलेख्य (अपेंडिक्स-1xB) वित्त विभाग द्वारा विहित बैंक गारण्टी के आलेख्य के अनुरूप नहीं है। कृपया शासनादेश दिनांक 22.04.1983 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विहित बैंक गारण्टी के आलेख्य पर बैंक गारण्टी लेना चाहें।

(4) सेन्ट्रालाइज मेगा कॉल सेन्टर की स्थापना के संबंध में स्वत: स्पष्ट टिप्पणी उपलब्ध करायी जाए।

(5) कृपया यह स्पष्ट करने का कष्ट करें कि क्या राज्य सरकार की ओर से यू0पी0 डेस्को के द्वारा अनुबन्ध निष्पादित करने हेतु अर्ह है। यदि है तो यू0पी0 डेस्को के मेमोरेण्डम ऑफ एसोशियेशन के संगत पैरा को इंगित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) चयनित सस्टिम इन्टीग्रेटर के साथ निष्पादित किए जाने वाले अनुबन्ध में सिस्टम इन्टीग्रेटर का "Scope of work" विर्निदिष्ट होना चाहिए। कृपया विचाराधीन "Scope of work" को स्पष्ट किया जाए।

(7) विचाराधीन आरएफपी के अपेडिन्क्स में सिस्टम इन्टीग्रेटर के द्वारा Services प्रदान किए जाने का प्राविधान है लेकिन शब्द "Services" को अपेन्डिक्स-सी के प्रयोजन से परिभाषित करना चाहें।

(8) विचाराधीन आरएफपी के सेक्शन-7 में Service Level Agreement से संबंधित प्राविधान है लेकिन Service Level Agreement के पक्षकार के संबंध में प्रकाश नहीं पड़ रहा है, संबंधित प्राविधान विचाराधीन आरएफपी में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्याय विभाग द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर दिए गये परामर्श को आरएफपी में समाहित कर तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विधिक परीक्षण हेतु आरएफपी न्याय विभाग को संदर्भित की जा सके।

भवदीय,

(महेन्द प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।